न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 231/2024

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र महावीर जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. लीलाधर पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी।
2. श्रवण कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी।
3. सीताराम पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी।
4. लाधूराम पुत्र महावीर जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 24/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 372/239 के ख0न0 532/446 की कुल 1.2700 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायला न0 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 371/239 के ख0न0 5334 की कुल 5.2210 हैक्ट भूमि के गैरसायल स0 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

सायलान व गैरसायल स0 4 अपनी खातेदार भूमि रोही मौजा गोरखाना के खाता स0 532/446 की कुल 1.2700 हैक्ट भूमि की काफी वर्षो पूर्व सींव बनी हुई है जिसे सदामत से शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। गैरसायल स0 1 ता 3 सायल के चिपते पड़ौसी है एवं सायल की भूमि की सीवं व डोल को मिस्मार कर सायल की भूमि पर काबिज होना चाहते है अगर गैरसायल स0 1 ता 3 अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायल स0 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा गोरखाना के खाता स0 372/239 की कुल 1.2700 हैक्ट भूमि की सींव व डोल की यथास्थिति बनाये रख।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 372/239 के ख0न0 532/446 की कुल 1.2700 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सींव डोल मिस्मार नही करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि की तहसीलदार नोहर द्वारा पैमाईश की गई उस समय [illegible] उपस्थित थे। सीमाज्ञान के बाद डोल बंधाई गई लेकिन सायल द्वारा उक्त [illegible] करवा लिया जिससे सीमा ज्ञान का कोई महत्व नही रहा। सायल द्वारा [illegible] व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible]वे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:36:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 372/239 के ख0न0 532/446 की कुल 1.2700 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायला न0 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 371/239 के ख0न0 5334 की कुल 5.2210 हैक्ट भूमि के गैरसायल स0 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त मौका रिपोर्ट पर सभी काश्तकारान के हस्ताक्षर नही है। सायल व गैरसायलान एक दुसरे के पड़ौसी काश्तकार है। अगर गैरसायलान द्वारा उक्त भूमि की सीवं व डोल को मिस्मार किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थीगण पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 372/239 के ख0न0 532/446 की कुल 1.2700 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक सीव व डोल का मिस्मार न करे एवं तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वाद भूमि की पैमाईश व मौका नक्शा तैयार न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:19 IST
Reason: SelfAttested